न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

प्रकरण संख्या 108/2025 (GCMS: 2025/1116)

राज्य सरकार जरिये कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

अनिल पुत्र श्री मदनलाल जाति जाट निवासी सिहागावाली तहसील श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर 99824–00414 **फर्म/दुकान**, पायल सिनेमा के सामने स्थित एक दुकान, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनिल एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री धर्मपाल प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 27.12.2024 को अवैध डीजल/पेट्रोल की बिक्री की शिकायत की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ पायल सिनेमा के सामने स्थित दुकान पर पहुंचे। मौके पर उक्त दुकान में उपस्थित व्यक्ति से पूछने पर उसने अपना परिचय अनिल पुत्र श्री मदनलाल बताया, जिसकी उपस्थिति में दुकान की जांच की गई।

उनका आगे यह भी कथन है कि दुकान की जांच करने पर दुकान में 32 लीटर पेट्रोल, 01 प्लास्टिक कैनी, 01 प्लास्टिक कीप, 01 हिसाब–किताब रजिस्टर पाया गया। वक्त पूछताछ अनिल पुत्र श्री मदन लाल ने उक्त समस्त सामग्री स्वयं का होना स्वीकार किया। मौके पर उक्त पेट्रोल से सम्बन्धित कोई बिल आदि भी प्रस्तुत नहीं किये।

उनका आगे यह भी कथन [illegible] ल पुत्र मदनलाल पंजाब के पेट्रोल पम्पों से लाकर डीज[illegible] के सामने स्थित अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:24:09 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

दुकान पर करता है। मौके पर श्री अनिल कुमार द्वारा पेट्रोल को बेचान करने संबंधी कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए बिना अनुज्ञापत्र के पेट्रोल के बेचान के कारण 32 लीटर पेट्रोल, 01 प्लास्टिक कैनी, 01 प्लास्टिक कीप, 01 हिसाब–किताब रजिस्टर को जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया। सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी अनिल कुमार पुत्र श्री मदनलाल ने बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल **(प्रदाय और वितरण कर विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4), 4 का स्पष्ट उल्लंघन किया है।** इसलिए उक्त 32 लीटर पेट्रोल, 01 प्लास्टिक कैनी, 01 प्लास्टिक कीप, 01 हिसाब–किताब रजिस्टर को राजसात करने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी ने कथन किया है कि दिनांक 27.12.2024 को जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा 32 लीटर पेट्रोल जब्त किया गया था, सही है। मै, पढाई कर रहा हूँ और भविष्य में ऐसी गलती दुबारा नहीं करूंगा। इसलिये अप्रार्थी ने अपने प्रकरण को दाखिल दफ्तर करने की प्रार्थना की है।

मैने, विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थी अनिल की बहस पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 27.12.2024 को अवैध डीजल/पेट्रोल की बिक्री की शिकायत की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ पायल सिनेमा के सामने स्थित दुकान पर पहुंचे, वहां उपस्थित व्यक्ति ने अपना परिचय अनिल पुत्र श्री मदनलाल बताया। दुकान की जांच करने पर दुकान में 32 लीटर पेट्रोल, 01 प्लास्टिक कैनी, 01 प्लास्टिक कीप, 01 हिसाब–किताब रजिस्टर पाया गया। अनिल पुत्र श्री मदन लाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:24:09 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

ने उक्त समस्त सामग्री स्वय का होना स्वीकार किया। मौके पर उक्त पेट्रोल से सम्बन्धित कोई बिल आदि भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अनिल पुत्र मदनलाल ने बताया कि वह पंजाब के पेट्रोल पम्पों से लाकर डीजल–पेट्रोल का बेचान पायल सिनेमा के सामने स्थित अपनी दुकान पर करता है। वक्त पूछताछ मौके पर श्री अनिल कुमार द्वारा पेट्रोल को बेचान करने संबंधी कागजात / अनुमति / अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए बिना अनुज्ञापत्र के पेट्रोल के बेचान के कारण 32 लीटर पेट्रोल, 01 प्लास्टिक कैनी, 01 प्लास्टिक कीप, 01 हिसाब–किताब रजिस्टर को जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया। अप्रार्थी अनिल कुमार पुत्र श्री मदनलाल ने बिना अनुमति / अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल **(प्रदाय और वितरण कर विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4), 4 का उल्लंघन करने के कारण** 32 लीटर पेट्रोल, 01 प्लास्टिक कैनी, 01 प्लास्टिक कीप, 01 हिसाब–किताब रजिस्टर को राजसात करने की प्रार्थना की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी अनिल कुमार पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:–

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3** के **अधीन** किये गये **किसी** ऐसे **आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध कर... यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, ...पत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:24:09 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अप्रार्थी अनिल कुमार से दिनांक 27.12.2024 को 32 लीटर पेट्रोल एवं अन्य सामग्री को बेचान करने के कारण जब्त की गई है। अप्रार्थी द्वारा पेट्रोल को बेचान करने संबंधी कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र/बिल या अन्य अन्य कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है,। **अप्रार्थी अनिल कुमार पेट्रोल अवैध रूप से बेचान के कार्य में लिप्त है, जिसे अप्रार्थी ने स्वयं भी स्वीकार किया है।**

इस प्रकार अप्रार्थी पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध कारोबार में लगातार कर रहे है जो **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और** ऑटोमोबाईल्स **में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187–188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(1) की स्पष्ट उल्लंघन है।**

विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाईल **में उपयोग का निवारण) आदेश 2000 का बिन्दु संख्या 12 निम्न प्रकार से** अवलोकनीय **है:**

> विलायको के वर्गीकरण के सम्बन्ध में –स्पष्टीकरण पत्रांक पी–3/जयपुर दिनांक 04.06.2002 द्वारा उपमुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर वास्ते जिला रसद अधिकारी जयपुर तथा जिला मजिस्ट्रेट व उपयुक्त (प्रथम) खाद्य विभाग आपके पत्र क्रमांक रसद/2002/549 दिनांक 06.05.2002 द्वारा चाही गई जानकारी निम्नलिखित है:
>
> 1. पेट्रोलियम उत्पादों का वर्गीकरण – पेट्रोलियम नियम 2002 के अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थ जिसक फ्लेश प्वाईन्ट 23 अंश से.गे. से नीचे होता है वह वर्ग क में वर्गीकृत है एवं जिनका फ्लेश प्वाईन्ट 23 अंश से.ग्रे. से अधिक एवं 65 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, वे ख में आते है एवं जिनका फ्लेश प्वाईन्ट 65 अंश से.ग्रे. से अधिक एवं 93 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, वे सभी वर्ग ग में वर्गीकृत किये गये है। .....
>
> .....

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:24:05 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

पेट्रोलियम उत्पाद जैसे एसबीपी स्प्रीट/ एसबीपी सोलवेन्ट, पेन्टेन सिक्सोन, रिसोल, एरोमेक्स, लोमेक्स, फ्लेश प्वाईंट के अभाव में श्रेणी बता पाना मुश्किल है।

2. उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थो के भण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग ख एवं 5000 लीटर वर्ग ग के भण्डारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।

....

विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश 2000 के अनुसार पेट्रोलियम वर्ग ''क'' का 30 लीटर तक भण्डारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है, जबकि अप्रार्थी द्वारा दिनांक 27.12.2024 को 32 लीटर पेट्रोल (वर्ग क) का बेचान किया जा रहा था।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी ''विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187–188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(1) के अनुसार 30 लीटर तक पेट्रोलियम पदार्थ का भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) के किया जा सकता है, इससे अधिक भण्डारण करने हेतु अनुज्ञप्ति(License) का होना आवश्यक है जबकि अप्रार्थी अनिल कुमार द्वारा विक्रय हेतु अधिकृत अनुज्ञप्ति (License) न होने के बावजूद भी पेट्रोल का विक्रय किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी के पास भी किसी प्रकार की कोई क्रय/विक्रय /भण्डारण/परिवहन करने की कोई अनुज्ञा पेश नहीं की है। इसलिए इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी अनिल कुमार अपनी फर्म/दुकान अवैध कारोबार में लिप्त है। इसलिए उक्त अप्रार्थीगण से दिनांक 27.12.2024 को जब्तशुदा 32 लीटर पेट्रोल मय अन्य सामग्री राजसात करने योग्य ठहरते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:24:09 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187—188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(1), मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 की धारा 02(थ), 3(4), 04 के प्रावधानों की अवेहलना के कारण जब्तशुदा 32 लीटर पेट्रोल मय अन्य सामग्री राजसात किये जाते है।

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत **Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56** में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्त शुदा उक्त 32 पेट्रोल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे अब उक्त राजसात किये गये 32 लीटर पेट्रोल की विक्रय राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:24:09 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर